



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21082021-229176  
CG-DL-W-21082021-229176

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2021 (श्रावण 30, 1943)  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2021 (SRAVANA 30, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	543	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	617	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2293	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1843
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	157
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1581
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	543	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	617	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	2293	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1843
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	157
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	1581
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1**  
**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त 2021

सं० 20012/02/2019-रा.भा.(नीति)—लोकसभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 6/9/CI/2019 दिनांक 30.07.2021 के अनुसरण में लोकसभा के निम्नलिखित माननीय संसद सदस्य को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

1. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह

मीनाक्षी जौली  
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 17 अगस्त 2021

संकल्प

सं० वाई-12011/8/2021-एएस—भारत सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तहत स्नातक (और अगले चरण में स्नातकोत्तर) स्तर की शिक्षण सुविधाएं और मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुर्वेद के वर्धन और विकास को बढ़ावा देने और आयुर्वेद तथा स्थानीय स्वास्थ्य अभ्यासों की क्षमताओं के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने और स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं (एलएचटी) एवं नृजाति चिकित्सा अभ्यासों के सभी पहलुओं के लिए एक शीर्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम) का नाम बदलकर पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफएमआर), पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश करने का निर्णय लिया है।

2. इससे आयुर्वेद और लोक चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक सत्यापन, गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण तथा सुरक्षा मूल्यांकन, मानकीकृत आयुर्वेद और लोक चिकित्सा आधारित तृतीयक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में अंतःविषयक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

3. यह आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा, जो भारत में हिमालय क्षेत्र की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और जिसके समग्र संवर्धन और विकास के लिए आयुर्वेद के साथ मिलकर प्रलेखन, अध्ययन और अभ्यास करने की जरूरत है।

4. यह संस्थान शासी निकाय की देखरेख और नियंत्रण में कार्य करेगा, जिसके अध्यक्ष माननीय आयुष मंत्री होंगे।

आदेश

आदेश है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सभी मंत्रालयों और विभागों और अन्य सभी संबंधितों को सूचित की जाए।

अब्दुल सादिक खान  
अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2021

सं. 3-1/2015-संस्कृत—महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के संगम ज्ञापन के नियम 15 (iii) के अनुसार वित्त समिति को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाता है। समिति की संरचना इस प्रकार है:—

वित्त समिति की संरचना:

1.	शासी परिषद के उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
2.	भारत सरकार, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि	- सं.स.(भाषा)
3.	वित्तीय सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय	- सदस्य
4.	शासी परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामित दो सदस्य	(i) श्री कुप्पा शिव सुब्रह्मण्य अवदानी, गणपति, तिरुमाला धर्मगिरि पाठशाला, तिरुमाला, आंध्र प्रदेश, (ii) कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली
5.	प्रतिष्ठान के सचिव	- सदस्य सचिव

सुमन दीक्षित  
उप सचिव

MINSITRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 12th August 2021

No. 20012/02/2019-OL(Policy)—In pursuance of the Office Memorandum No. 6/9/CI/2019 dated 30.07.2021 of the Lok Sabha Secretariat, the following Hon'ble Member of the Lok Sabha is appointed as the Member of the Parliamentary Committee on Official Language :-

1. Smt. Mala Rajya Laxmi Shah

MEENAKSHI JOLLY  
Joint Secretary (OL)

MINISTRY OF AYUSH

New Delhi-110023, the 17th August 2021

RESOLUTION

No. Y-12011/8/2021-AS—The Government of India has decided to change the nomenclature of North Eastern Institute of Folk Medicine (NEIFM) to North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research (NEIAFMR), Pasighat, Arunachal Pradesh with the objective to providing graduate (and Post Graduate at a later stage) level teaching facilities and quality patient care services under the Ayurvedic system of medicines, promoting the growth and development of Ayurveda in North-East Region and generate public awareness about the potentials of Ayurveda and Local Health Practices, functioning as an apex Research Centre for all aspects of Local Health Traditions (LHTs) and Ethno Medical Practices.

2. This will facilitate quality education, scientific validation, quality control & standardization and safety evaluation of Ayurveda and Folk Medicine products, standardized Ayurveda and Folk Medicine based tertiary health delivery and to promote interdisciplinary research & education of Ayurveda and Folk Medicine.

3. It will create synergy between Ayurveda and Folk Medicine, which is the Traditional Medical system of the Himalayan belt in India and needs to be documented, studied and practiced in tandem with Ayurveda for its holistic growth and development.

4. The Institute would function under the supervision and control of the Governing Body, whose chairman will be the Hon'ble Minister of AYUSH.

O R D E R

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Union Territories Administrations and all other concerned.

ABDUL SADIQ KHAN  
Under Secretary

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th August 2021

No. 3-1/2015-Skt.I—The Finance Committee in terms of Rule 15 (iii) of the MoA of Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratisthan, Ujjain is hereby reconstituted for a period of 5 years with immediate effect. The composition of the Committee is as under:—

Composition of the Finance Committee:

1.	Vice-Chairman of the Governing Council	- Chairman
2.	One representative of the GoI, Deptt. Of Education	- Joint Secretary (L)
3.	Financial Advisor, Ministry of Education	- Member
4.	Two members nominated by the Governing	(i) Sh. Kuppa Shiv Subrahmanya

	Council out of its members	Avadani, Ganapati, Tirumala Dharmagiri Patashala, Tirumala, Andhra Pradesh (ii) Vice Chancellor, Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi
5.	Secretary of the Pratishtan	- Member Secretary

SUMAN DIXIT  
Deputy Secretary